Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/563/2002/बून्दी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवां

प्रार्थी

बनाम

1 रामनारायण पुत्र गणपत (फौत) जरिये वारिसान
1/1 कैलाश पुत्र रामनारायण जाति बाबाजी
1/2 महावीर पुत्र रामनारायण जाति बाबाजी निवासीयान फूलेता
1/3 कैलाश बाई पुत्री रामनारायण पत्नी हनुमान जाति बाबाजी निवासी बाछोला
1/4 कस्तूरी पुत्री रामनारायण पत्नी जगदीश जाति बाबाजी निवासी ग्राम बडगांव
1/5 धापूबाई पुत्री रामनारायण पत्नी भैरूलाल जाति बाबाजी निवासी कोरमा
1/6 रसाल पुत्री रामनारायण पत्नी महावीर जाति बाबाजी निवासी ग्राम सूरेली तहसील उनियारा
2 केसरीलाल पुत्र छीतर जाति बाबाजी निवासी फूलेता तहसील नैनवा

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक
श्री जी.एस.लखावत वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः.26.3.18

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 147/2000 में की गई अनुशंषा दिनांक 19.11.2001 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, नैनवां ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फूलेता की जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2053 से 2056 में खाता संख्या 131 पर कुल किता 10 रकबा 10 बीघा भूमि रामनारायण व केसरीलाल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदार में दर्ज है। इसी प्रकार इसी जमाबन्दी चौसाला के खाता संख्यचा 130 में कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि अप्रार्थी

संख्या 1 रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात सेटलमेन्ट सम्वत 2028 से 2047 से पूर्व मन्दिर श्रीलक्ष्मीनारायण जी महाराज स्थान देह की खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के दौरान विवादित आराजीयात मन्दिर मूर्ति के नाम से हटा कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अनुचित एवं अवैध है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर इस प्रकार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा दिनांक 19.11.2001 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट सम्वत 2028 से 2047 से पूर्व राजस्व अभिलेख में मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायणजी की खातेदारी में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के दौरान विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि पर काश्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। सेटलमेन्ट सम्वत 2028 से 47 के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मन्दिर मूर्ति की खातेदारी हटाकर अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज कर दिया जो अनुचित एवं अवैध होने से रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि वापस मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायणजी की खातेदारी में दर्ज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि सम्वत 2000 अर्थात सन् 1943 से ही अप्रार्थीगण के पिता छीतर के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही हैं। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण प्रारम्भ से अर्थात रियासतकाल (जागीरदार) के समय से ही खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज नहीं किया गया है बल्कि पूर्व के इन्द्राज को ही दोहराया गया है। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 में प्रभाव में आया तब मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायणजी माफीदार दर्ज थे एवं अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जागीर अधिग्रहित होने पर जागीरदार के स्थान पर राज्य सरकार दर्ज हो गई एवं काश्तकार खातेदार हो गये। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काबिज काश्तकार स्वतः ही खातेदार हो गये। जबकि वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण सम्वत 2000 से ही काश्तकार खातेदार के रूप में दर्ज चले आ रहे हैं। बून्दी टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार भी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार थे एवं हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हमारा खातेदार के रूप में अंकन प्रारम्भ से ही है तथा पूर्ववर्ती है। पश्चात में रामनारायण का नाम जोता व पुजारी के रूप में 1/2 भाग पर अंकित हुआ तथा 1/2

भाग पर छीतर वल्द केवरा दर्ज हुआ। छीतर पहले पुजारी दर्ज नहीं है हमारे भी खातेदार पुजारी पश्चात में कुछ समय दर्ज हुआ पर जोता हम ही रहे। मन्दिर जोता या खुदकाश्त नहीं रहा। मन्दिर का खातेदार, जोता या खुदकाश्त के रूप में जरिये पुजारी कोई अंकन नहीं है। उसका अंकन केवल भूमिधारी के रूप में है। हम खातेदार जोता थे और तर्क के लिए भी कोई खातेदार/जोता पुजारी हो भी जाएं तो जोता खातेदार की उसकी स्थिति में क्षरण नहीं होगा। हम पुजारी होने से खातेदार जोता दर्ज नहीं हुए अपितु केवल खातेदार का इन्द्राज पूर्ववर्ती है। और पश्चात 1/2 भाग में पुजारी व जोता त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ। कलक्टर के आदेश के संदर्भ होने से भी कलक्टर के आदेश का रेफरेन्स कलक्टर नहीं कर सकता है। राज्य सरकार ने भी समय समय पर परिपत्र जारी कर ऐसे काश्तकार खातेदारों के इन्द्राज को सही माना है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आर.आर. डी. 1996 पेज 535, आर.बी.जे. 2015 पेज 486 एवं आर.आर. टी. 2017(1) पेज 434 तथा राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा प्रकरण संख्या रेफरेंस/एलआर/11153/2008/जयपुर उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रामसहाय व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 9.9.2015 की फोटोप्रति पेश कर रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी सम्वत 2028 से 2047 में खसरा नम्बर 41, 42, 43, 44, 45, 76, 77, 78, 79, 80 रामनारायण पि.मु. गणपत हि. 1/2 सा.देह केसरी लाल वल्द छीतर हि. 1/2 कोम बाबजी सा.(अपठित) खातेदार दर्ज हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 137, 138, 139, 234, 235, 43/1005 रामनारयण पि.मु. गणपत की खातेदारी में दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 में उक्त आराजीयात अप्रार्थीगण के खातेदारी में उक्तानुसार ही दर्ज हैं। जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2018 से 22 में कालम संख्या 4 नाम भूमिधारी जागीरदार व उप जागीरदार मालगुजार में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारयण जी महाराज स्थान देह जरिये पुजारी रामनारायणा पि.मु. गणपत कौम बाबजी बैरागी सा.देह माफी बिला चौथानी देवस्थान अंकित है तथा कालम संख्या 5 नाम कृषक के कालम में रामनारायण पि.मु. गणपत हि. 1/2 सा.देह छीतर वल्द कवरा हि.1/2 खातेदार दर्ज हैं। विशेष विवरण कालम में हुक्म कले बून्दी दिनांक 31.5.63/1.6.63 क्रमांक 1641-44 श्री लक्ष्मीनारायण जी महा. राजस्थान देह किता 9 रकबा 10 बीघा को दिनांक 1.6.63 को खालसा में अमल किया का नोट अंकित है। खतौनी सम्वत 2000 में नाम खातेदार के कालम में रामनारायण पि.मु. गणपत हि. 1/2 सा.देह व छीतर वल्द कंवरा हि.1/2 सा. लापता अंकित है तथा हासिंल लेने वोले का नाम के कालम में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणए जी महाराज स्थान देह अंकित है। इस

खतौनी के कैफियत के कालम में माफी बिला चौथानी देवस्थान अतिय जागीदार अंकित है तथा मुर्तहिन बिल कब्ज व शिक्मी का नाम के कालम में रामनारायण पि.मु. गणपत हि. 1/2 अंकित है।

राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण सम्वत 2000 से ही बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायणजी का नाम बतौर माफीदार दर्ज रहा है। भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 प्रभाव में आने पर जागीरदार/माफीदार की जागीर जप्त हो गई एवं जागीरदार/माफीदार के स्थान पर राजस्थान सरकार आ गई तथा काबिज काश्तकार जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतः खातेदार हो गये। खतौनी सम्वत 2018 से 22 में अंकित नोट के अनुसार भी दिनांक 1.6.63 को मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायणजी की उक्त आराजीयात खालसा हो गई थी। इस प्रकार विवादित आराजीयात जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मन्दिर मूर्ति का नाम हटाकर उसके स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया गया है। इसआदेश का संदर्भ कलक्टर, बून्दी का है। अप्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार सम्वत 2000 से ही दर्ज चला आ रहा है। जागीर अधिग्रहित होने पर काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये।

आर.बी.जे. (22) 2015 पेज 486 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जागीर अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति माफीदार की माफी अधिग्रहित होने के बाद उसके अधिकार समाप्त हो गये एवं काबिज काश्तकार खातेदार बन जाता है। जागीर पुनर्ग्रहण होने के बाद माफीदार मूर्ति के अधिकार समाप्त हो गये, माफीदार मूर्ति केवल खुदकाश्त भूमि पर ही अधिकार रख सकती है। आर.आर.डी. 1996 पेज 535 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मारवाड टिनेन्सी एक्ट, 1949 की धारा 13 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी खसरा गिरदावरी के इन्द्राज के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार के राजस्व(ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र प.क.-3(2)राज-6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 में यह स्पष्ट किया गया है कि जागीर पुनर्ग्रहण होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में पटटेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगें। बहस कथन अनुसार अप्रार्थी का अंकन खातेदार के रूप में प्रारम्भ से ही है।

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में वर्तमान प्रकरण में भी मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण माफीदार थे तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने पर इनकी

जागीर अधिग्रहित हो गई एवं मूर्ति के स्थान पर राज्य सरकार आ गई तथा काश्तकार स्वतः खातेदार हो गये। अप्रार्थी का नाम खातेदार के कालम में रहा है और वह अंकन पूर्ववर्ती है। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण की खुदकाश्त की भूमि होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का अप्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है, उसे अनुचित एवं अवैध नहीं माना जा सकता एवं हम इस रेफरेन्स में कोई सार नहीं पाते हैं। ऐसी विधिक स्थिति में भी रेफरेंस स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य